# छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 66 प्रकरण क्रमांक –**M-COM-2022-01687**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''अम्बा प्लाजा'', प्रमोटर–नवदुर्गा कन्स्ट्रक्शन, द्वारा–श्री अशोक कुमार टुटेजा, पता–लिंक रोड, जिला–बिलासपुर (छ.ग)

प्रोजेक्ट–''अम्बा प्लाजा'' जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

| आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान | आदेश अथवा कार्यवाही | पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 02/08/2022 | – प्रकरण प्रस्तुत ।<br>– भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा–5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट ''अम्बा प्लाजा'' पंजीयन क्रमांक–**PCGRERA110919001037** के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत सभी प्रोजेक्ट्स को भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–11 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति रेरा के वेबपोर्टल पर अद्यतन करना अनिवार्य है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक–17 / रेरा / 2018 / 562, दिनाँक 28.09.2018 एवं क्रमांक–22 / रेरा / 2018 / 676, दिनाँक 03.11.2018 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किये गये थे। जो प्राधिकरण की वेबसाईट पर सहज उपलब्ध हैं।<br>प्राधिकरण द्वारा समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि अनावेदक द्वारा उपरोक्त उल्लेखित प्रावधानों व निर्देशों की अवहेलना करते हुए, उपरोक्त वर्णित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति पोर्टल पर अद्यतन नहीं की गई है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरूद्ध दिनाँक 30.03.2022 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।<br>– अनावेदक द्वारा प्रकरण की सुनवाई के दौरान शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये यह लेख किया गया है कि उसने प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में इकाईयों का विक्रय नहीं किया है और ना ही बुकिंग हेतु कोई अग्रिम राशि प्राप्त की है। अनावेदक ने इस संबंध में अपने सी.ए. श्री किरण कुमार पदमानी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया है। अनावेदक ने प्रोजेक्ट में इकाईयों का विक्रय नहीं किये जाने का लेख करते हुये प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।<br>– प्राधिकरण द्वारा विवादित प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा वाणिज्यिक श्रेणी में विवादित प्रोजेक्ट का पंजीयन वर्ष 2019 में कराने उपरांत अधिनियम की धारा–11 अंतर्गत दिसम्बर, 2019 के पश्चात् कोई भी त्रैमासिक | |

# छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 66 प्रकरण क्रमांक –**M-COM-2022-01687**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''अम्बा प्लाजा'', प्रमोटर–नवदुर्गा कन्स्ट्रक्शन, द्वारा–श्री अशोक कुमार टुटेजा, पता–लिंक रोड, जिला–बिलासपुर (छ.ग)

प्रोजेक्ट–''अम्बा प्लाजा'' जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

| आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान | आदेश अथवा कार्यवाही | पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | जानकारी प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है। अनावेदक द्वारा उक्त कार्य संपादित नहीं किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा–61 व धारा–63 अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध करते हुये नोटिस प्रेषित किये जाने उपरांत अनावेदक ने शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये प्रोजेक्ट में आज दिनाँक तक किसी यूनिट का विक्रय नहीं करने और कोई अग्रिम राशि नहीं प्राप्त करने का उल्लेख किया है। अनावेदक ने अपने सी.ए. द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र भी उक्त संबंध में प्रस्तुत किया है। परन्तु वर्ष 2019 में प्रोजेक्ट के पंजीयन होने उपरांत अनावेदक ने स्वतः उपरोक्तानुसार कोई जानकारी प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है। अर्थात् वर्ष 2019 में पंजीयन प्राप्त करने उपरांत अनावेदक ने प्रोजेक्ट में विक्रय नहीं किये जाने के संबंध में स्वयं से कोई सूचना प्राधिकरण को प्रेषित नहीं की है। अनावेदक ने वर्तमान शपथ पत्र भी प्रकरण पंजीबद्ध होने उपरांत ही प्रस्तुत किया है। अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये अनावेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर प्रश्नाधीन प्राजेक्ट का पंजीयन प्रतिसंहरित किया जाना उचित प्रतीत होता है। चूँकि प्राधिकरण ने अनावेदक के पंजीयन हेतु प्रस्तुत आवेदन पर समुचित कार्यवाही कर प्रोजेक्ट को पंजीयन प्रदान किया था; इसलिये पंजीयन शुल्क वापस किये जाने योग्य नहीं है। साथ ही प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में यूनिट्स का भविष्य में विक्रय किये जाने को प्रतिबंधित किया जाना उचित होगा। इसके अतिरिक्त अनावेदक को यह चेतावनी दिया जाना उचित प्रतीत होता है कि भविष्य में प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में क्रय–विक्रय प्रारंभ करने पर भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों अंतर्गत पुनः प्राजेक्ट के पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा।<br><br>– उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरूद्ध निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है :–<br><br>1. अनावेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट का पंजीयन शुल्क राजसात कर प्रोजेक्ट का पंजीयन क्रमांक–**PCGRERA110919001037** आदेश दिनाँक से प्रतिसंहरित किया जाता | |

# छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 66 प्रकरण क्रमांक –**M-COM-2022-01687**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''अम्बा प्लाजा'', प्रमोटर–नवदुर्गा कन्स्ट्रक्शन, द्वारा–श्री अशोक कुमार टुटेजा, पता–लिंक रोड, जिला–बिलासपुर (छ.ग)

प्रोजेक्ट–''अम्बा प्लाजा'' जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

| आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान | आदेश अथवा कार्यवाही | पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | है। अनावेदक प्रश्नाधीन प्राजेक्ट में विक्रय पुनः प्रारंभ करने के पूर्व भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों अंतर्गत प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट का छ.ग. रेरा में पंजीयन कराना सुनिश्चित करे।<br><br>2. प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में यूनिट्स के विक्रय को प्रतिबंधित किया जाता है। रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ रेरा को यह निर्देशित किया जाता है कि कलेक्टर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) व जिला–पंजीयक, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) को इस संबंध में पृथक से पत्र प्रेषित करे।<br><br>3. रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा को यह निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति को आवश्यक कार्यवाही हेतु आयुक्त, नगर निगम, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) तथा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) को प्रेषित किया जावे। रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा प्रतिसंहरित प्रोजेक्ट की जानकारी वेबपोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करे।<br><br>– आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।<br><br>– प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ दाखिल किया जावे।<br><br>सही/–<br>**(विवेक ढाँड)**<br>**अध्यक्ष** | |

# छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 66 प्रकरण क्रमांक –**M-COM-2022-01687**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''अम्बा प्लाजा'', प्रमोटर–नवदुर्गा कन्स्ट्रक्शन, द्वारा–श्री अशोक कुमार टुटेजा, पता–लिंक रोड, जिला–बिलासपुर (छ.ग)

प्रोजेक्ट–''अम्बा प्लाजा'' जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

| आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान | आदेश अथवा कार्यवाही | पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | | |

# छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 66 प्रकरण क्रमांक –**M-COM-2022-01687**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''अम्बा प्लाजा'', प्रमोटर–नवदुर्गा कन्स्ट्रक्शन, द्वारा–श्री अशोक कुमार टुटेजा, पता–लिंक रोड, जिला–बिलासपुर (छ.ग)

प्रोजेक्ट–''अम्बा प्लाजा'' जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

| आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान | आदेश अथवा कार्यवाही | पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|

# छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 66 प्रकरण क्रमांक –**M-COM-2022-01687**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''अम्बा प्लाजा'', प्रमोटर–नवदुर्गा कन्स्ट्रक्शन, द्वारा–श्री अशोक कुमार टुटेजा, पता–लिंक रोड, जिला–बिलासपुर (छ.ग)

प्रोजेक्ट–''अम्बा प्लाजा'' जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

| आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान | आदेश अथवा कार्यवाही | पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|